

333/20

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक -

ग्रामीण सेवा शिबिर

2025/570

कैम्प काटं शहर

प्रसादी बनान सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 16-10-25

पटवारी हल्का ...शहर... भू अभिलेख निरीक्षक...शहर... की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम ...शहर...के खाता संख्या...158... में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्राप्ति	शाही उपरान्त प्रकृष्टि	वि. विवरण
01	शहर	158	-	प्रसादी	प्रमाणी	बेस
02						
03						
04						

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प काटं शहर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरापद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का...शहर...।
03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

